मत्स्य कृषक विकास अभिकरण सोलन, जिला सोलन के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2013 से 31.3.2014

भाग–एक

1 **प्रारम्भिकः–**

(क) अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य कृषक विकास अभिकरण सोलन, जिला सोलन कार्यरत्त रहेः–

मुख्य कार्यकारी अधिकारी	अवधि
श्री सुनील मेहता	वर्ष 2013–14 के दौरान

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्र0सं0	पैरा सं0	विवरण	राशि
1	8	निर्धारित लक्ष्यों कर व्यय न करने के कारण वर्ष 2013–14 के अन्त में अनुदान की राशि का व्यय हेतु शेष पाया जाना	14.78
2	9	लाभार्थियों को अनुदान के रूप में दी गई राशि के एवज में पावतियाँ प्राप्त न करना	1.13

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में समाविष्ट आडिट पैरों/अनुच्छेदों के सटिप्पण उत्तरों की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान समीक्षा की गई व कुछ आडिट पैरों/अनुच्छेदों का निपटारा किया गया। निपटारे के पश्चात पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है :–

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/99 से 3/2000

1	पैरा–11	अनिर्णित

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010

1	पैरा–7	अनिर्णित
2	पैरा–10	अनिर्णित

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2011

1	पैरा–7	अनिर्णित	
2	पैरा–9	अनिर्णित	

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2012

	पैरा–3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क प्राप्त पैरा समाप्त)
2	पैरा–6	अनिर्णीत	
3	पैरा–9	अनिर्णीत	
4	पैरा–10	अनिर्णीत	
5	पैरा–11	अनिर्णीत	

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2013

1	पैरा–6	अनिर्णीत	
2	पैरा–7	अनिर्णीत	
3	पैरा–8	निर्णीत	(बचत खाते बन्द कर दिए गए)
4	पैरा–9	निर्णीत	(अपडेटिड)
5	पैरा–10	आंशिक रूप से निर्णीत	(श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री नेत्र सिंह का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दर्शाया गया)
6	पैरा–11	अनिर्णीत	

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

मत्स्य कृषक विकास अभिकरण सोलन के अवधि 4/2013 से 3/2014 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण, श्री राम सिंह (अनुभाग अधिकारी), श्री पुनीश सागर (अनुभाग अधिकारी) तथा श्री राकेश कुमार चौहान (लेखा परीक्षक) द्वारा किया गया। आय की विस्तृत जॉच हेतु माह 3/2014 तथा व्यय की विस्तृत जांच हेतु 10/2013 का चयन किया गया जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिये गये है।

यह अंकेक्षण प्रतिवेदन, मत्स्य कृषक विकास अभिकरण सोलन द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं/अभिलेखों के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उक्त संस्था द्वारा प्रदान की गई किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना के प्रदान न करने के कारण पाई गई त्रुटियों हेतु उत्तरदायी नहीं है।

3 अंकेक्षण शुल्क :–

मत्स्य कृषक विकास अभिकरण, सोलन के वर्ष 2013–14 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹11,000/– आंका गया जिसे निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–171009 को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम नाम से भेजने हेतु अभिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से अधियाचना संख्याः 84 दिनांक 1.9.2014 द्वारा अनुरोध किया गया। मत्स्य कृषक विकास अभिकरण, सोलन द्वारा अंकेक्षण शुल्क की उक्त ₹11,000/– जोगिन्द्रा सैंट्रल को ओपरेटिव बैंक सीमित सोलन के बैंक ड्राफ्ट सं0 080177 दिनांक 01.09.14 के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–171009 को प्रेषित कर दी गई है ।

4 वित्तीय स्थिति :–

मत्स्य कृषक विकास अभिकरण सोलन द्वारा प्रस्तुत अभिकरण की वर्ष 2013–14 की प्राप्ति व भुगतान की विवरणिका, आय–व्यय विवरणिका तथा तुलन पत्र इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट–'' क''** पर संलग्न है।

5 निवेश :–

मतस्य कृषक विकास अभिकरण सोलन द्वारा दिनाँक 31.3.14 तक किए गए निवेशों का विवरण **परिशिष्ट "ख"** पर संलग्न है।

6 उचित वित्तीय प्रबन्ध न करने के कारण लगभग ₹32736/– की अतिरिक्त ब्याज आय से वंचित होनाः–

अभिकरण द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं तथा सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान अभिकरण के बचत खातों में अध्याधिक राशियाँ रखी हुई थी। यदि उचित वित्तीय प्रबन्धन करते हुये इन राशियों में से एक समुचित भाग सावधि जमा में निवेश किया गया होता तो अभिकरण को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकती थी। यदि वर्ष के अन्तिम शेष का औसतन 75**%** भाग भी सावधि जमा में निवेशि किया गया होता तो अभिकरण को निम्नविवरणानुसार लगभग ₹32736/– के अतिरिक्त ब्याज की आय प्राप्त हो सकती थी। अतः सुझाव दिया जाता है कि संस्था स्तर पर आन्तरिक जाँच करके अभिकरण की राशियों का एक समुचित भाग सावधि जमा में भी निवेश किया जाए।

वर्ष	31 मार्च को अन्तिम शेष (रोकड़ तथा सावधि जमा मिलाकर)	75 प्रतिशत राशि जो सावधि जमा निवेश में की जा सकता था	31 मार्च को जितनी राशि सावधि जमा में वास्तव में निवेश की गई थी	31 मार्च को सावधि जमा में कम निवेश की गई राशि	5 प्रतिशत की दर अतिरिक्त ब्याज की प्राप्त होने वाली आय की हानि
2013–14	2052327 (2500+116 3223+1175+907+884522)	1539245	884522	654723	32736

7 सहायता अनुदानः–

वर्तमान अंकेक्षण अवधि में केन्द्र तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान के प्रारिम्भक शेष, प्राप्ति, उपयोग तथा अन्तशेष का विवरण **परिशिष्ट "ग"** पर संलग्न है।

8 निर्धारित लक्ष्यों पर व्यय न करने के कारण वर्ष 2013–14 के अन्त मे अनुदान की ₹14.78 का व्यय हेतु शेष पाया जानाः–

परिशिष्ट "ग" के अनुसार अभिकरण के पास वर्ष 2013–14 में निर्धारित लक्ष्यों पर व्यय करने हेतु कुल ₹20.27/– लाख उपलब्ध थी। इस राशि में से वर्ष 2013–14 के दौरान निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु केवल ₹5.48 लाख ही व्यय की गई तथा वित्तीय वर्ष के अन्त में दिनाँक 31.3.14 को ₹14.78 लाख शेष थी। अतः वित्तीय वर्ष के अन्त में कुल राशि का 79.56**%** व्यय हेतु शेष रहने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सक्षम अधकारी की स्वीकृति प्राप्त करके शेष राशि को स्वीकृति पत्र की शर्तों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

9 लाभार्थियों को अनुदान के रूप में दी गई ₹113387/–के एवज में पावतियाँ प्राप्त न करनाः–

चयनित मास में व्यय की जाँच के दौरान पाया गया कि निम्नविवरणानुसार लाभार्थियों को तालाब निर्माण तथा तालाब सुधार योजना के अन्तर्गत जारी की गई अनुदान की राशियो के एवज में पावतियाँ (Receipts) प्राप्त नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार प्राप्त की जानी अनिवार्य थी। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अब सम्बन्धित लाभार्थियों से पावतियाँ प्राप्त करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। इसके

अतिरिक्त भविष्य में लाभार्थियों से नियमित रूप से पावत्तियाँ प्राप्त की जानी भी सुनिश्चित की जाए।

क्र0सं0	बिल संख्या/दिनाँक	लाभार्थी का नाम	किश्त	अनुदान की राशि
1	5/21.10.13	श्री शमशेर सिंह	पहली तथा दूसरी	18000
2	–यथोपरि–	श्री सरवन कुमार	–यथोपरि–	6375
3	–यथोपरि–	श्री संजय कुमार	–यथोपरि–	3600
4	–यथोपरि–	श्रीमती लीला देवी	–यथोपरि–	5850
5	–यथोपरि–	श्री तिलक राज	–यथोपरि–	3696
6	–यथोपरि–	श्री सुलेमान	–यथोपरि–	30000
7	–यथोपरि–	श्री आलम	–यथोपरि–	11250
8	–यथोपरि–	श्री नजीर अली	पहली तथा दूसरी	32000
9	–यथोपरि–	श्री सावन चन्द	–यथोपरि–	7000
10	–यथोपरि–	श्री बलबीर	–यथोपरि–	4416
11	–यथोपरि–	श्री रंजीत	–यथोपरि–	4000
12	–यथोपरि–	श्री जगरनाथ	पहली	19200
			योग	**₹113387**

10 अनुदान की राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र पर प्राप्त न करनाः–

मत्स्य विकास अभिकरण, सोलन द्वारा निम्नलिखित लाभार्थियों को तालाब बनाने/तालाब सुधार करने/प्रथम वर्षीय आदानों की लागत हेतु अनुदान की राशियाँ प्रदान की गई थी, परन्तु अभिकरण द्वारा इन लाभार्थियों से अनुदान की राशियों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित फार्म "बी" पर प्राप्त नहीं किए गए। अतः इन लाभार्थियों से अनुदान की राशियों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र फार्म "बी" पर प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

क्र0सं0	केस सं0	लाभार्थी का नाम	राशि
1	5/2011–12	श्री शमशेर सिंह	18000
2	3/2012–13	श्री सरवन कुमार	6375
3	16/2012–13	श्री संजय कुमार	3600
4	4/2012–13	श्रीमती लीला देवी	5850

5	15/2012–13	श्री तिलक राज	3696
6	40/2012–13	श्री सलेमान	30000
7	39/2012–13	श्री आलम	11250
8	13/2012–13	श्री नजीर अली	32000
9	6/2012–13	श्री सावन चन्द	7000
10	7/2012–13	श्री बलबीर	4416
11	20/2011–12	श्री रंजीत	4000
12	35/2011–12	श्री जगरनाथ	19200
13	15/2010–11	श्री मुहम्मद रसूल	9728
14	8/2011–12	श्री विचित्र सिंह	15750
15	8/2012–13	श्रीमती सुदर्शना कुमारी	2940
16	7/2012–13	श्री जगमोहन सिंह	5545
17	4/2012–13	श्री दिलबाग सिंह	3250
18	9/2012–13	श्री बन्तू मुहम्मद	5562

11 भण्डार में नकारा पड़ी विभिन्न वस्तुओं की नीलामी न करने बारे :–

भण्डार रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि मत्स्य कृषक विकास अभिकरण, सोलन के भण्डार का भौतिक निरीक्षण दिनांक 13.1.14 तथा 14.1.14 को किया गया था। भौतिक निरीक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भण्डार में जो वस्तुऐं नकारा घोषित पाई गई उनका विवरण तथा **परिशिष्ट "घ"** पर संलग्न है, परन्तु अभिकरण द्वारा उक्त **परिशिष्ट"घ"** में दर्शाई गई नकारा वस्तुओं की नीलामी नहीं की गई थी। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 नकारा वस्तुओं की शीघ्र नीलामी करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 डिस्पेच रजिस्टर (Despatch Register) का नियमानुसार अनुरक्षण न करना:–

अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित डिस्पेच रजिस्टर की प्रविष्टियों की पड़ताल के दौरान पाया गया कि उक्त रजिस्टर का अनुरक्षण सही ढ़ंग से नहीं किया जा रहा था। रजिस्टर में न तो शासकीय डाक टिकटों के शेष नियमित रूप से निकाले जा रहे थे तथा न ही इसमें की गई प्रविष्टियाँ को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया जा रहा था जिसके अभाव में अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी कि क्या शासकीय डाक टिकटों के सही

उपयोग हो रहा है अथवा नहीं? अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 इस अभिलेख का सही अनुरक्षण करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में इस अनियमितता की पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

13 **लघु आपत्ति विवरणीः–** लघु आपत्ति विवरणी अलग से जारी नहीं की गई।

14 **निष्कर्ष :–** लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / –
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः–फिन(एल0ए)एच(2)सी(15)(14)-100/86–खण्ड–8–7618–7621, 17.12.14 दिनांक, शिमला–171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत :– (1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य कृषक विकास अभिकरण स्थित शामती, सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजें।

(2) मुख्य मत्सय प्रारक्षी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश

(3) उप सचिव (मत्स्य) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–171002.

(4) श्री पुनीश सागर, अनुभाग अधिकारी द्वारा.................................

हस्ता / –
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश शिमला–171009.